न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान :—महेन्द्र कुमार आदि बनाम बुधाराम आदि

प्रार्थना पत्र संख्या :— 146 / 2024

निर्णय दिनांक :—....12/5/2025....

1. महेन्द्र कुमार पुत्र चौथूराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 21 तारानगर जिला चूरू
2. सम्पत देवी पत्नी बृजलाल जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 23 तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1. बुधाराम पुत्र भोमाराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 23 तारानगर जिला चूरू
2. भगवानाराम पुत्र लिछुराम जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं. 05 तारानगर जिला चूरू
3. मालाराम पुत्र घड़सीराम जाति माली निवासी निवासी वार्ड नं. 22 तारानगर जिला चूरू
4. धनराज पुत्र नौरतमल जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 21 तारानगर जिला चूरू
5. मगनचन्द पुत्र नौरतमल जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 21 तारानगर जिला चूरू।
6. विकास पुत्र नौरतमल जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 21 तारानगर जिला चूरू
7. सुभाषचन्द्र पुत्र नौरतमल जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 21 तारानगर जिला चूरू
8. मोहम्मदा पुत्र मिश्रीखां जाति कलाल निवासी वार्ड नं. 14 तारानगर जिला चूरू
9. तिलक कुमार पुत्र निर्मल कुमार जाति बांवलिया वार्ड नं. 22 तारानगर जिला चूरू
10. धीरज कुमार पुत्र निर्मल कुमार जाति बांवलिया वार्ड नं. 22 तारानगर जिला चूरू
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :—1. श्री रतन चाचाण अभिभाषक वास्ते प्रार्थीगण
2. श्री महेन्द्र कुमार यादव श्री देवकीनन्दन अभिभाषक वास्ते अप्रार्थीगण सं. 03
3. श्री प्रभुदयाल सहारण वास्ते अप्रार्थीगण सं. 4 ता 07
4. श्री ओमप्रकाश सहारण वास्ते अप्रार्थीगण सं. 08
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू वास्ते अप्रार्थी

—: निर्णय :—

प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर. एक्ट प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि **कृषि भूमि खसरा नं. 719/387 तादादी 2.3899 हैक्ट. रोही मौजा ग्राम मिखाला** तहसील तारानगर जिला चूरू में से प्रार्थी सं. 01 महेन्द्र कुमार 18/59 हिस्सा एवं प्रार्थीया सं. 02 सम्पत देवी 41/59 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि **मिखाला** की रोही में स्थित है उक्त खातेदारी भूमि खसरा नं. **719/387** के पड़ौसियान अप्रार्थीगण सं. 1 ता 10 ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है व प्रार्थीगण को हर वक्त नुकसान पंहुचाने पर आमादा रहते है व प्रार्थीगण की खातेदारी काश्तकारी की कृषिभूमि की चारों तरफ की सींव तोड़कर बार बार प्रार्थीगण की कृषिभूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने की कूचेष्टा कर रहे है जिससे खातेदारी काश्तकारी की कृषिभूमि को सही एवं सुचारू ढंग से काश्त नहीं कर पा रहे है जिससे प्रार्थीगण को अपूर्तिय क्षति हो रही है व प्रार्थीगण की आजीविका चलनी मुश्किल हो

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

गई है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को दिनांक 24.06.2024 को वमुकाम तारानगर में कहा कि वे उनकी खातेदारी काश्तकारी की कृषिभूमि में सींव तोड़कर नाजायज अतिक्रमण करने की कोशिश ना करें तो समस्त अप्रार्थीगण ऐसा करने से स्पष्ट इंकार हो गये। प्रार्थीगण द्वारा तहसील कार्यालय तारानगर में अनेकों बार अपनी कृषिभूमि की पैमाईश करवाने हेतु आवेदन किये जा चुके है लेकिन हल्का पटवारी अप्रार्थीगण के प्रभाव में आने से वह प्रार्थीगण की कृषिभूमि की पैमाईश बदयांति पूर्वक जानबूझकर नहीं कर रहा है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषिभूमि की पैमाईश कराकर पत्थरगढ़ी कराना चाहता है ताकि अप्रार्थीगण के साथ शांति बनी रह सके तथा लड़ाई झगड़ा किसी पड़ौसी के साथ न हो।

इस कारण प्रार्थीगण ने न्यायालय में अपने खेत की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित। बार-बार अवसर दिये जोन पर अप्रर्थीगण की ओर से जवाब प्रा. पत्र प्रस्तुत नही किया गया इसलिए इनका जवाब बन्द किया गया। वकील अप्रार्थीगण को बार-बार समय दिये जाने पर बहस नही की गई।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दौहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण खेत **कृषि भूमि खसरा नं. 719/387 तादादी 2.3899 हैक्ट. रोही मौजा ग्राम मिखाला** तहसील तारानगर जिला चूरू के रिकॉर्ड खातेदार है। भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में है। प्रार्थीगण अपने खेत व काश्त की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता। प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ हैं। वर्णित विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए राजस्व नक्शा के मुताबिक **कृषि भूमि खसरा नं. 719/387 तादादी 2.3899 हैक्ट. रोही मौजा** मिखाला सीमाचिन्ह स्वयं अथवा नायब तहसीलदार के निर्देशन में राजस्व कार्मिक टीम से कायम करावें। सीमाचिन्ह कार्यवाही का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। ध्यान रहे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी काश्तकार को बेदखल नही किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

Jayendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 12/5/2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Jayendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)